

टीडीएस किस प्रकार सहायता कर सकती है?

टीडीएस उन उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में शिकायतों पर गौर करती है जिन्हें आप अपनी दूरसंचार कंपनी से प्राप्त करते हैं।

इसमें शामिल है:

- पूर्व-भुगतान मोबाइल फोन सहित कोई सेवा या उत्पाद
- आपका बिल (लेकिन कंपनी का मूल्य-निर्धारण नहीं)
- आवासीय और लघु व्यवसाय ग्राहक
- वह शिकायतें जो पहले से दूरसंचार कंपनी में दर्ज की जा चुकी हैं लेकिन सुलझाई नहीं गई हैं
- वह शिकायतें जिनमें 12000 डॉलर या इससे कम मुआवज़ा शामिल है

लेकिन इसमें शामिल नहीं है:

- उपकरण या सॉफ्टवेयर जो दूरसंचार कंपनी द्वारा समर्थित नहीं है
- नेटवर्क कवरेज
- 111 कॉलें
- येलो पेजेस विज्ञापन सामग्री
- कार्यक्षेत्र नाम
- गोपनीयता अधिनियम मुद्दे

मुफ्त फोन 0508 98 98 98

स्कीम स्ट्रस्य



मुफ्त फोन 0508 247 638



फोन 09 480 7872



मुफ्त फोन 0800 999 010



फोन 09 430 3540



मुफ्त फोन 09 916 6400



मुफ्त फोन 0800 131 415



मुफ्त फोन 0800 500 638



123 या *123 (मोबाइल)
पर फोन करें



मुफ्त फोन 0508 888 800



फोन 09 929 3000



मुफ्त फोन 0800 800 021



TELECOMMUNICATION
**DISPUTE
RESOLUTION**

P.O.Box 5573, Wellington 6145
www.tdr.org.nz

मुफ्त फोन 0508 98 98 98



TELECOMMUNICATION
**DISPUTE
RESOLUTION**

दूरसंचार विवाद समाधान
यहाँ पर आपकी
सहायता के लिए



दूरसंचार विवाद समाधान क्या है?

दूरसंचार विवाद समाधान (टीडीआर) ग्राहकों की उनकी दूरसंचार कंपनी के बारे में शिकायतों के प्रति सहायता करने हेतु एक **मुफ्त एवं स्वतन्त्र** सेवा है।

यदि आपने अपनी दूरसंचार कंपनी से कुछ शिकायत की है और आप इसके परिणाम से खुश नहीं हैं तो आप टीडीआर सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे पहले कि हम आपकी सहायता करें, आपका **पहले** अपनी दूरसंचार कंपनी को शिकायत दर्ज करवाना आवश्यक है।

टीडीआर, न्यूज़ीलैंड की समस्त बड़ी दूरसंचार कंपनियों को समाविष्ट करती है।

आप इस वेबसाइट पर टीडीआर के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: www.tdr.org.nz



मैं टीडीआर में शिकायत कैसे दर्ज करवा सकता हूँ?

यदि आप अपनी दूरसंचार कंपनी के साथ समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हुए हैं, टीडीआर को फोन करें।

हम आपके विवाद पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ है जिसमें हम आपकी सहायता कर सकें।

सबसे पहले आपको अपनी दूरसंचार कंपनी में शिकायत दर्ज करवाने की आवश्यकता है।

यदि आप अपनी शिकायत के परिणाम से खुश नहीं हैं या आपको शिकायत दर्ज करवाए हुए छह सप्ताह बीत गए हैं और अभी तक कोई हल नहीं निकला है, तो टीडीआर सहायतक करने योग्य हो सकता है।


टीडीआर को इस नंबर पर मुफ्त फोन करें: 0508 98 98 98

हम कंपनी के साथ आपकी शिकायत का समाधान करने की कोशिश करेंगे और निपटान पर पहुँचने के लिए आप दोनों के साथ काम करेंगे। यदि इससे काम नहीं चलता तो हम एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके हित में, या कंपनी के हित में हो सकता है। निर्णय, दूरसंचार कंपनी पर बाध्यकारी है परन्तु आप पर नहीं। यदि आप इससे नाखुश हैं, तो आप फिर भी अदालत में अपनी शिकायत कर सकते हैं।

आप अपनी शिकायत इस वेबसाइट पर ऑन-लाइन भी दर्ज करवा सकते हैं: www.tdr.org.nz

इसमें क्या लागत आती है?
कुछ भी नहीं - यह सेवा उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त है।

यह कैसे काम करता है?



*टीडीआर 30 नवंबर 2007 को स्थापित की गई थी। यह इस तिथि से पहले हुई घटनाओं से संबंधित शिकायतों पर विचार नहीं कर सकती।